तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1884/2003/अलवर बनवारीलाल बनाम रमेश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री ओंकारलाल दवे, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.06.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, राजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–02–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी को प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में निगराधीन नॉन–स्पीकिंग आदेश से सरसरी तौर पर खारिज किया, जिसमें प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 2017 डीएनजे I राज. पेज 2701 एवं 2012 आरआरटी II पेज 1023 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1884/2003/अलवर बनवारीलाल बनाम रमेश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी को देरी से प्रस्तुत होना मानकर खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, राजगढ द्वारा वादी प्रार्थी एंव उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए बहुत ही संक्षिप्त आदेश से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जाप्ता दीवानी को खारिज किया है, जिसमें उनके द्वारा न तो उभय पक्ष की बहस का उल्लेख किया है, ना ही प्रार्थनापत्र के माध्यम से चाहे गये संशोधन किसी आधार पर स्वीकार योग्य नहीं है, का उल्लेख किया गया है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उद्धरित विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को कोई भी आदेश पारित करते समय विधि सम्मत् कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में बहुत ही सरसरी रूप से विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निगराधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, राजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-02-2003 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1884/2003/अलवर बनवारीलाल बनाम रमेश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी पर उभयपक्ष को पुनः सुनकर सकारण आदेश एक माह में पारित करें। पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे उपखण्ड अधिकारी, राजगढ के न्यायालय में दिनांक 31.07.2018 को उपस्थित होवें। निर्णय की सूचना उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	